



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 11-04-21

थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त 192 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त फैजान पुत्र नाजिर निवासी बेस्ट सिटी निठौरा रोड थाना लोनी जनपद गा0बाद को 192 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ गद्दी सबलू रोड लक्ष्मी गार्डन हल्का चौकी अशोक कुमार से दिनांक 11.04.2021 की प्रातः गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

फैजान पुत्र नाजिर निवासी बेस्ट सिटी निठौरा रोड थाना लोनी जनपद गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0-432/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरणः-

192 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 01 अदद तमन्चा व 01 कारतूस 315 वोर नाजायज के गिरफ्तार।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगति अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 11.04.2021 को समय करीब 01.05 बजे चैकिंग के दौरान राहुल गार्डन पाइप लाइन रोड सेवाधाम क्षेत्र से एक अभियुक्त मुकीम पुत्र रोनाक नि0 कृष्णा विहार गली न0 3 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद को एक अदद तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 वोर नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मुकीम पुत्र रोनाक नि0 कृष्णा विहार गली न0 3 थाना लोनी बोर्डर, जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 226/21 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त दीपक से बरामद का विवरण-

01 अदद तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 वोर नाजायज।

जान पर खेलकर जाबाज ट्रैफिक सिपाही ने बचाई तीन जिंदगी।

दिनांक 10.04.2021 को रात्रि समय लगभग 22:00 बजे दिल्ली हापुड रोड, ईस्टर्न पेरीफेरल के पास दो कारों के आपस में दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप एक कार में आग लग गयी। उक्त कार में 02 पुरुष एवं 01 महिला सवार थे, जिसके उपरान्त ईस्टर्न पेरीफेरल चढ़ाव पर किसान धरना/आंदोलन के दौरान यातायात व्यवस्था ड्यूटी हेतु नियुक्त आरक्षी 720 अरुण कुमार ने तत्परता दिखा कर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ड्यूटी प्वाइन्ट से लगभग 200 मीटर दूर दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर कार में सवार दोनों पुरुष एवं महिला को तत्काल कार से बाहर निकलवाकर उपचार हेतु शिवालिक अस्पताल भिजवाया। इस दौरान आरक्षी 720 अरुण कुमार के हाथ एवं पैर झुलस गये, जिसका उपचार जारी है।

श्री अमित पाठक, पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सिपाही की बहादुरी एवं कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा करते हुए उत्साहवर्धन हेतु सिपाही अरुण कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।



हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही -श्रीमान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 10.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब हत्या के प्रयास में नामजद अभियुक्तगण 1- खालिद पुत्र हामिद 2-दीनू पुत्र हामिद निवासीगण ग्राम झुण्डपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर पीर वाली मस्जिद के पास उस्मानगढ़ी पुलिया डासना से समय लगभग 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- श्री सलमान पुत्र सलीम नि० झुण्डपुरा ने अपनी तहरीरी सूचना से कि अभि०गण द्वारा वादी व वादी के परिजन के साथ रुपये के लेनदेन को लेकर लाठी डण्डो से मारपीट कर गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 13.01.2021 को थाना हाजा पर मु०अ०सं० 18/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना से धारा 308 भादवि की वृद्धि की गयी। दिनांक 10.04.2021 को उक्त अभियोग के वांछित खालिद व दीनू उपरेक्त को मुखबिर की सूचना पर उस्मानगढ़ी पुलिया डासना से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

(1) खालिद पुत्र हामिद निवासी ग्राम झुण्डपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद

(2) दीनू पुत्र हामिद निवासी ग्राम झुण्डपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 18/21 धारा 147/323/504/506/308 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद ।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा मकान में चोरी की घटना का 12 घंटे के भीतर अनावरण कर चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का तार व ग्रेन्डर व 2 चाकू नाजायज बरामद हुए

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 522/2021 धारा 380/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण (1) सूरज पुत्र कल्लू यादव निवासी बल्ले के चौराहे से बांये गली में ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद व (2) ललित यादव पुत्र शंकर यादव निवासी किशन आदर्श स्कूल के सामने शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 11.04.2021 को समय 04.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी का 2.400 किलो तांबे का तार व ग्रेन्डर व 02 चाकू नाजायज बरामद हुए अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 523/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 524/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 10.04.2021 को वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र चेताराम सिंह निवासी म0नं0 13 बिहारीपुरा थाना विजयनगर गाजियाबाद ने थाना कविनगर पर तहरीर दी कि वादी के नव निर्माणाधीन मकान जयपुरिया सन राईज ग्रीन में किन्ही अज्ञात चोरो द्वारा 7 बोक्स बिजली का तार व 01 ग्रेन्डर चोरी किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 522/2021 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया एवं थाना कविनगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्त गण को मय चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 2 चाकू नाजायज बरामद हुए । अभियुक्त गण द्वारा 7 बोक्स बिजली के तार को जला कर उसमें से तांबे का तार निकाल लिया गया, जिससे उस तांबे के तार को किसी कबाड़ी को आसानी से बेच सके । अभियुक्त ललित यादव उपरोक्त थाना कविनगर से पूर्व में भी जेल जा चुका है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) सूरज पुत्र कल्लू यादव निवासी बल्ले के चौराहे से बांये गली में ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष शिक्षा 12वी पास ।

(2) ललित यादव पुत्र शंकर यादव निवासी किशन आदर्श स्कूल के सामने शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष शिक्षा 9वी पास ।

बरामदगी का विवरण -

1-02 चाकू नाजायज ।

2-2.400 किलो ग्राम तांबे का तार

3- 01 ग्रेन्डर चोरी का

अभियुक्त सूरज का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 522/21 धारा 380/411 थाना कविनगर गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0 523/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद

अभियुक्त ललित यादव का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 522/21 धारा 380/411 थाना कविनगर गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0 524/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0 1290/15 धारा 411/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद



थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा गांजा बेचने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद

कार्यवाही- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दि0-11/04/2021 को झुग्गी झोंपड़ी शक्तिखण्ड 4 के पास इन्दिरापुरम से गांजा बेचने वाले अभियुक्त **मौ0 शिकारी आलम पुत्र जाहिद आलम** नि0 झुग्गी झोंपड़ी शक्तिखण्ड – 4 नीतिखण्ड थाना इन्दिरापुरम गा0बाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद** किया गया।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सस्ते दाम पर **गांजा** खरीदकर उंचे दामों पर नशा करने वाले लोगों को बेच देता था।

बरामदगी का विवरण-

1- 1 किलो 100 ग्राम गांजा

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

मौ0 शिकारी आलम पुत्र जाहिद आलम नि0 झुग्गी झोंपड़ी शक्तिखण्ड – 4 नीतिखण्ड थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 520/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इंदिरापुरम गा0बाद



थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मु0अ0सं0 192/2021 धारा 384/507 भादवि से सम्बन्धित गिरफ्तार

-श्री अमित पाठक पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा घटनाओं के अनावरण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रानिकासिटी पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2021 धारा 384/507 भादवि बनाम अज्ञात की घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए वादी को धमकी देकर 05 लाख रुपये की माँग करने वाले अभियुक्त सचिन पुत्र कृष्णपाल नि0ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत को दिनांक 11.04.21 को गेट नं0 2 ट्रानिका सिटी से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. अभियुक्त सचिन पुत्र कृष्णपाल नि0ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत

मु0अ0सं0 192/21 धारा 384/507 भादवि थाना ट्रानिकासिटी गा0बाद



थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मय अवैध अस्लाह (तमचा .315 बोर) मय 01 अदद कारतूस जिन्दा सहित गिरफ्तार श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त विनय कुमार पुत्र स्व0 ललित गुप्ता नि0 म0नं0 243, उत्तरांचल कालोनी, फ्री होल्ड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 को पुलिस द्वारा दि0 10-4-21 को घटनास्थल विश्वेन्द्र चौधरी के घर के पास वाले तिराहे से ग्राम अटौर की तरफ करीब 50-60 कदमों की दूरी पर सड़क पुख्ता के पास से गिरफ्तार किया।

विवरण बरामदगी-

1 01 अदद तमचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विनय कुमार पुत्र स्व0 ललित गुप्ता नि0 म0नं0 243, उत्तरांचल कालोनी, फ्री होल्ड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 209/21 धारा 3/25 A.ACT थाना नन्दग्राम गाजियाबाद



थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 11-4-21 को थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए 01 अभियुक्त को मय 38 पक्वे देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए अभियुक्त राधेश्याम पुत्र श्री सूरज भान नि0 म0नं0 174, गली नं0 2, 80 फुटा रोड दीनदयाल पुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष को थाना पुलिस द्वारा दिनांक 11-4-21 को समय करीब 01.30 बजे निर्माणाधीन बाईपास से ग्राम अटौर की तरफ करीब 60 कदम की दूरी पर से मय 38 पक्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया।

विवरण बरामदगी-

38 पक्वे देशी शराब मिस इन्डिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राधेश्याम पुत्र श्री सूरज भान नि0 म0नं0 174, गली नं0 2, 80 फुटा रोड दीनदयाल पुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 210/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1 उ0नि0 श्री महक सिंह बालियान

2 का0 64 अनिल कुमार



चैकिंग अभियान के दौरान 02 नफर मोबाईल लुटेरे अभि0गण को मय लूट का 01 अदद मोबाईल, 200 रु0 व 01 अदद चाकू सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान दिनांक 10/04/21 थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभि0गण 1. अमित उर्फ वेसूट पुत्र आसाराम नि0 गली नं0- 01 आश्रम रोड़ नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद 2. राहुल कुमार पुत्र मनोज कुमार नि0 ई-ब्लाक टैम्पू स्टैण्ड नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को थाना सिहानी गेट के मु0अ0सं0 399/21 धारा 394 भादवि में लूटा गया मोबाईल सैमसंग, 200 रु0 व 01 अदद नाजायज चाकू सहित कब्रिस्तान के गेट के सामने पेटल मार्ग से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 10/04/021 को चैकिंग अभियान के दौरान चौका क्षेत्र पटेलनगर मे मुखबिर की सूचना पर पटेल मार्ग पर केसरी माता मन्दिर के पास चेकिंग करने लगे कि कुछ देर में रोहन मोटर्स की तरफ से 02 लडके आते दिखाई दिये कि पुलिस वालो को चेकिंग करता देखकर दोनो लडके सकपका कर भागने का प्रयास करने लगे कि पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दोनो लडको को कब्रिस्तान के गेट के सामने

से पकड लिया कि अभि० अमित उर्फ बेसूट से 01 अदद चाकू व एक मोबाइल SAMSUNG मल्टीमीडिया गोल्डन रंग बरामद हुआ व अभि० राहुल कुमार की तलाशी मे 100-100 के 02 नोट कुल 200 रुपये बरामद हुए अभि०गण द्वारा पूछताछ मे बताया कि हम दोनो ने मिलकर हापुड मोड पर एक लडके से मोबाइल व 500 रुपये लूटे थे अमित से जो मोबाइल मिला है यह रात वाली लूट का है और राहुल ने बताया कि मेरी जेब से जो 200 रुपये मिले है यह रात वाली लूट के बचे पैसे है वाकी पैसे हम दोनो ने खर्च कर दिये है अभियुक्त अमित उर्फ बेसूट को उसके जुर्म धारा 394,411 IPC व 4/25 व अभियुक्त राहुल को जुर्म धारा 394,411 IPC से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.अमित उर्फ बेसूट पुत्र आसाराम नि० गली नं०- 01 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
- 2.राहुल कुमार पुत्र मनोज कुमार नि० ई-ब्लाक टैम्पू स्टैण्ड नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

दिनांक 10/04/021 को समय 02.10 बजे वादी मौ० शकील पुत्र मौ० नसीम नि० डासना गा०बाद द्वारा थाना हाजा मे रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 9.4.21 को 11.30 PM पर मैं हापूड मोड़ से अपने घर डासना जा रहा था तभी दो लडके आये एक ने मेरा गला पकड़ा दुसरे ने Mobile सैमसंग छीन लिया और दोनो भाग गए ।

- 1.मु०अ०स०-399/21 धारा 394/411 भादवि० बनाम अमित व राहुल थाना सिहानीगेट गा०बाद
- 2.मु०अ०स० 407/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अमित थाना सिहानीगेट गा०बाद

बरामदगी

- 1.01 अदद मोबाइल सैमसंग सम्बन्धित मु०अ०स० धारा 394/411 भादवि० बनाम अमित व राहुल थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. 200 रुपये बनाम अमित व राहुल सम्बन्धित मु०अ०स० धारा 394/411 भादवि० थाना सिहानीगेट गा०बाद
- 3.01 अदद चाकू नाजायज



(एनसीआर क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार ,चोरी के 02 मोबाईल फोन, एक मोटर साईकिल, एक स्कूटी व 1500 रुपये तथा 3 अदद चाकू नाजायज बरामद)

कार्यवाही:-श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में वाहनो, मोबाईल फोन आदि की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 03 लोगो को बीती रात्रि में चैकिंग के दौरान सीएनजी पम्प आईटीएस कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया इनके कब्जे से चोरी के 02 मोबाईल फोन, एक मोटर साईकिल न० DL5S BL 8670, एक स्कूटी व 1500 रुपये तथा 3 अदद चाकू नाजायज बरामद किये गये तथा इनके दो साथी 1. सिराज पुत्र इमाम नि. मौ० राजधन बसी किरतपुर थाना किरतपुर बिजनौर 2. साधु निवासी मौ० राजधन बसी किरतपुर थाना किरतपुर बिजनौर फरार हैं जिनकी तलाश जारी है गिरफ्तार अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सुहेल पुत्र नसुमीद्दीन अल्वी निवासी लुकमानपुरा बसी किरतपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर
2. शाहरुख पुत्र मौहम्मद वासिम निवासी लुकमानपुरा बसी किरतपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर
3. सन्नी पुत्र महेन्द्र प्रजापति नि. हनुमान मन्दिर के पास बृजविहार थाना मुरादनगर गा०बाद

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शांतिर किस्म के चोर हैं, जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में घूम-घूमकर रात्रि में चल रहे व्यक्तियों से चाकू का भय दिखाकर उनसे मोबाइल, अंगूठी आदि छीन लेते हैं तथा सड़को के बाहर खड़ी बाइको को अपना निशाना बनाते हैं तथा मौका देखकर बाइक/स्कूटी व अन्य सामान चोरी करते हैं।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:-

1. मोटर साइकिल न0 DL5S BL 8670
2. स्कूटी बिना नम्बर रंग पीला
3. एक मोबाइल आईफोन रंग काला
4. एक मोबाइल एमआई
5. 1500 रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुहेल

मु0अ0सं0 149/21 धारा 392,411 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 271/21 धारा 380 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 273/21 धारा 398,401 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 274/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 277/21 धारा 411,414 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहरुख

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 392,411 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 271/21 धारा 380 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 273/21 धारा 398,401 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 275/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 277/21 धारा 411,414 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्नी

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 392,411 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 271/21 धारा 380 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 273/21 धारा 398,401 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 276/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 277/21 धारा 411,414 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद

गिरफ्तारी / सहयोग करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार
3. उ0नि0 श्री संजय सिंह अत्री
4. है0का0 प्रदीप कुमार
5. का0 नीरज कुमार



चैकिंग अभियान के दौरान 01 नफर अभि0 को 01 अदद चाकू सहित किया गिरफ्तार-श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कुन्दन s/o आनन्द झा उम्र 20 वर्ष नि0 D 38 वामवाली कालोनी शिव मन्दिर रजापुर थाना कविनगर जिला गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम सारसा जिला समदा विहार को 01 अदद नाजायड चाकू

सहित दि० 10/11-04-021 समय 00.53 बजे खजाना शू स्टोर के सामने पुराना वस अड्डा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:- पुलिस टीम द्वारा चौकी क्षेत्र पुराना बस अड्डा के मालीवाडा चौराहे पर चैकिंग के दौरान बस अड्डे की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखायी दिया संदेह होने पर उसको रूकने का इशारा किया तो उसने पुलिस वालों को देखकर भागने की कोशिश की पुलिस द्वारा खजाना शू स्टोर के सामने समय 00.53 बजे पकड़ लिया नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम कुन्दन उपरोक्त बताया जामा तलाशी में पहनी पेन्ट के बाये सुइडो से एक चाकू बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:- कुन्दन s/o आनन्द झा उम्र 20 वर्ष नि० D 38 वामवाली कालोनी शिव मन्दिर रजापुर थाना कविनगर जिला गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम सारसा जिला समदा विहार

पंजीकृत अभियोग का विवरण:- मु०अ०सं० 409/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम कुन्दन थाना सिहानीगेट गा०बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री बलराम सिंह सेंगर थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. है०का० 284 मेनपाल सिंह थाना सिहानीगेट गा०बाद
- 3.का० 270 संदीप त्यागी थाना सिहानीगेट गा०बाद

बरामदगी 01 अदद चाकू नाजायज

वांछित अपराधी के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वांछित अभि० को किया

गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु०अ०सं० 1413/20 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि के वांछित अभि० भीम दिवाकर उर्फ नीरज पुत्र शेर सिंह निवासी 370 सुभाष नगर घुक्ना थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को दौराने चैकिंग मुखबिर खास की सूचना पर हमदर्द चौराहा लोहियानगर से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 11/04/021 को को समय 14.05 बजे गिरफ्तार किया।

अपराध का विवरण -

दिनांक 09/09/020 को वादीया श्रीमति ऊषा श्रीमती उषा देवी पत्नी सत्यपाल निवासी मकान नं०-327, हरबंस नगर मास्टर कॉलोनी, घूक्ना मोड थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 1413/20 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद बनाम 1.रोहित दिवाकर 2.अकुर चौधरी व 10-12 अज्ञात के विरुद्ध वावत वादिया व उसके परिवार के उपर विपक्षीगणों द्वारा जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

भीम दिवाकर उर्फ नीरज पुत्र शेर सिंह निवासी 370 सुभाष नगर घुक्ना थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 1413/20 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद

थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 48 पक्के रोयाल ग्रीन हरियाणा मार्का शराब नाजायज सहित किया गिरफ्तार -

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 48 पक्के रोयाल ग्रीन हरियाणा मार्का शराब सहित गिरफ्तार किया। दिनांक 11.4.2021 को समय 14.00 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांव जावली की अंतिम पुलिया से एक अभियुक्त गोपाल पुत्र कुन्दन नि० धुनैनी थाना कोटरखाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता अशोक की मार्केट म०नं० 284 गांव जावली रोड थाना टीला मोड गाजियाबाद गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 48 पक्के रोयाल ग्रीन हरियाणा मार्का शराब नाजायज बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 0156/21 धारा 60/63 आब० अधि० पंजीकृत किया गया। **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-** गोपाल पुत्र कुन्दन नि० धुनैनी थाना कोटरखाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता अशोक की मार्केट म०नं० 284 गांव जावली रोड थाना टीला मोड गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामदगी -

48 पक्के रोयाल ग्रीन हरियाणा मार्का शराब नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु०अ०सं० 156/21 धारा 60/63 आब० अधि० थाना टीला मोड गा०बाद अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** 1. उ०नि०श्री पम्मी चौधरी , थाना टीला मोड गा०बाद

2. कां० 2318 उमेश कुमार , थाना टीला मोड , गा०बाद

3. कां० 1379 नरेन्द्र कुमार , थाना टीला मोड गा०बाद

